कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (हवामहल–आमेर जोन)
नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

(चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर)

क्रमांक :– अधि. अभि. हवामहल–आमेर जोन/जननि हैरिटेज/2024–25/436 दिनांकः 3/12/2024

निविदा संशोधन सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सुचना संख्या 55 से 73/2024–25 जो की www.jaipurmcheritage.org एवं http://sppp.rajasthan.nic.in प्रकाशनार्थ हेतु भिजवाई गई थी जिसकी निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि 04.12.2024 थी, जिसमें जोन कार्यालय द्वारा सीवर लाईन मैनहॉल सफाई का कार्य की शर्तो में संशोधन किया गया है।

अतः अपलोड करने की अंतिम तिथि 09.12.2024 तथा तकनीकी बिड खोलने की तिथि 10.12.2024 खोली जावेगी।

संलग्नः– सीवर लाईन मैनहॉल सफाई के कार्य की शर्ते

अधिशाषी अभियन्ता
हवामहल–आमेर जोन
नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (हवामहल आमेर जोन) नगर निगम जयपुर हैरिटेज

सीवर लाईन मैनहॉल सफाई का कार्य हेतु शर्त

1. निविदा दाताओं को निविदा शुल्क, अमानता राशि एवं MD, RISL प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन नगर निगम, जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmcheritage.org पर Submission Date and Time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्ती रसीद को स्केन करके **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जायेगा।
2. संवेदक द्वारा पंजीयन की प्रति एवं पेनकार्ड की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा दाता द्वारा एनेक्सचर A,B,C,D,E व वचनपत्र को स्वयं हस्ताक्षर कर स्केन करके टेण्डर के साथ संलग्न किया जाये।
4. संवेदक द्वारा जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं नवीनतम जी.एस.टी. आर. 3बी की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगा।
5. संवेदक द्वारा पीएफ रिर्टन की नवीनतम प्रति एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
6. संवेदक को ई.एस.आई. रिर्टन की नवीनतम प्रति एवं पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
7. स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान का प्रपत्र संख्या एफ–55()Egg./CE/DLB/SBM/20/31941 दिनांक 01.07.2020 की अनुपालना में संवेदक द्वारा सीवर सफाई व्यवस्था हेतु उपकरण/मशीनरी को आवश्यक रूप से उपयोग में लेना है। राज्य सरकार के प्रपत्र की प्रति संलग्न है। संवेदक द्वारा प्रपत्र में अंकित चैक लिस्ट, एनेक्चर (1 से 4 तक) की पालना किया जाना आवश्यक है। सीवर कार्य हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण/मशीनरी यथा सर्चिंग मशीन, सेफ्टी बेल्ट, रस्सी (10 मीटर), टॉर्च, हैलमेट, सुरक्षा के जूते (जोड़ा), हाथ दस्ताने (जोड़ा), गैस डिडेक्टर, ऑक्सीजन मास्क, रेडियम ड्रेस, चस्मा, मेडिकल किट, डेन्जर टेप (आवश्यकतानुसार), डिस्लिटिंग मशीन हूपर के साथ, मडपम्प 50 एच.पी. 100 मीटर आउटलेट पाईप के साथ होने चाहिए।
8. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 31941 दिनांक 01.07.2020 की अनुपालना में सीवर सफाई कार्य एवं सीवर सम्बन्धित कार्य आधुनिक मशीनों एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ ही किया जाना है। जिसमे सीवर मैनहोल डीसिलिटिंग कार्य हेतु डीसिलिटिंग मशीन स्वमं संवेदक की होगी मशीन का मालीकाना हक स्वमं संवेदक के नाम होगा इसकी आर.सी. एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रतियो संवेदको की निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न होगी।
9. संवेदक द्वारा उक्त मशीन को डीसिल्टिंग के कार्य हेतु ही उपयोग में लायी जावेगी।
10. आवश्यकतानुसार रात्रि में भी संवेदक द्वारा कार्य सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
11. मैनहॉल की सफाई/बन्द लाईन चालू करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
12. आवश्यकतानुसार संवेदक के द्वारा सीवर लाईन खोलने हेतु अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की व्यवस्था की जावेगी ।
13. सीवर सफाई के दौरान किसी भी दुर्घटना हादसे की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी।
14. सीवर लाईन सफाई/मैनहॉल सफाई का कार्य करते समय बैरिगेडिंग एवं सावधानी/चेतावनी सूचक बोर्ड की व्यवस्था मौके पर आवश्यकतानुसार संवेदक द्वारा की जावेगी।
15. Prohibition of Employment as manual Seavengers and their Rehabilitaion Rules 2013 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सीवर सफाई के लिये सीवर में प्रवेश की अनुमति नही है।
16. बिना सुरक्षा उपकरणों तथा आधुनिक संसाधनों के सीवर सफाई का कार्य सम्पादित नही किया जावे। इनके अभाव मे घटित किसी भी दुर्घटना के लिये संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. संवेदक द्वारा कार्यादेश प्राप्त होने के बाद उसके द्वारा नियुक्त सुपरवाइजर की लिखित सूचना नगर निगम को प्रस्तुत करनी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा नियुक्त प्रशिक्षित सुपरवाईजर, पर्याप्त मशीनरी एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ कार्य के दौरान साईट पर उपस्थित रहेगा। सफाई का कार्य उस अवधि में किया जावे जब सीवर बहाव की गति की मात्रा न्यूनत्तम हो।

19. सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपकरण सुपरवाईजर के पास सीवर की सफाई प्रारम्भ करने से पूर्व में उपलब्ध होने चाहिए।
20. संवेदक द्वारा नियुक्त प्रशिक्षित सुपरवाईजर मेनहॉल एवं सीवर के भाग का निर्धारण करे, जिसकी सफाई की जानी एवं उस क्षेत्र में बैरिकेटिंग लगाई जावे।
21. एक झण्डा साईट से 15 मी. दूर लगाया जावे जिसे कोई भी वाहन 150 मीटर दूर से देख सके।
22. कार्य प्रारम्भ करने से एक घंटे पूर्व कार्यस्थल के आगे–पीछे के दो–तीन मैनहॉल खोले जावे ताकि जहरीली गैस बाहर निकल सके। किसी भी श्रमिक एवं व्यक्ति को मेनहॉल में झांकने नही दिया जावे।
23. गैस मॉनिटर लैम्प डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर मॉस्क का प्रयोग किया जावे।
24. सफाई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एक बांस जिसका अग्र भाग पर एक एसिटेट पेपर लगा हुआ हो, मैनहॉल में डालना चाहिए। अगर यह पेपर काला हो जाता है जो हाईड्रोजन सल्फाईल की उपस्थिति दर्शाता है और कार्य प्रारम्भ करने के समय को बढा देना चाहिए ताकि जहरीली गैसे पूर्ण रूप से बाहर निकल सके।
25. सिल्ट एवं कीचड की सफाई हेतु उपयुक्त मशीन प्रयोग में ली जावें मशीन का संचालन निर्धारित विधि से किया जावें।
26. सफाई उपरान्त मैनहॉल को अच्छे तरीके से टाईट बन्द किया जावें।
27. उपरोक्त सभी संचालन प्रशिक्षित सुपरवाईजर की देखरेख में की जावे।
28. हानिकारक गैस रिसाव होने की स्थिति में सुरक्षा उपकरण जैस–Breathing Appratus, Alarm system, First-aid इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
29. सीवर मैनहॉल सर्चिग के लिये आवश्यक होने पर सड़क खोदने हेतु लोकण्डा मशीन की आपूर्ति संवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगीं, जिसका विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।
30. सीवर मैनहॉल सफाई हेतु आवश्यकतानुसार मडपम्प की आपूर्ति संवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगीं, जिसका विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।
31. कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में कार्य की समयावधि आपसी सहमती से आगामी 01 वर्ष की अतिरिक्त अवधि हेतु बढ़ाया जा सकेगा।
32. कार्य से संबंधित पूर्व, प्रगतिरत तथा पूर्ण के फोटोग्राफ्स संवेदक को समय–समय पर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
33. किसी भी प्रकार की वाहन/मशीन की दुर्घटना होने पर सभी प्रकार के पुलिस अथवा न्यायिक प्रसंगो/मरम्मत/वित्तीय/विधिक दायित्व हेतु संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के क्लेम/दायित्वो के लिए नगर निगम जयपुर हैरिटेज उतर दायी नही होगा।
34. निविदा में भाग लेने वाला संलग्न किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

हस्ताक्षर

संवेदक मैसर्स..
....

अधिशाषी अभियन्ता
(हवामहल आमेर जोन)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता हवामहल–आमेर जोन
नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

(चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर)

क्रमांक :– अधि. अभि. हवामहल–आमेर जोन/जननि हैरिटेज/2024–25/ 896 दिनांकः 19/11/2024

ई–निविदा सूचना 64/2024–25

नगर निगम, जयपुर द्वारा निम्न कार्य कराये जाने हेतु पंजीकृत/अपंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु आनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म आनलाईन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in/डाउनलोड एवं अपलोड व **http://sppp.rajasthan.gov.in**पर डाउनलोड किये जा सकते है:–

क्र स	ई–निविदा सूचना संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)	अमानता राशि (2 प्रतिशत या 0.5 प्रतिशत रूपयों में)	निविदा शुल्क मय 18% GST	MD RISL शुल्क	निविदा अपलोड करने की तिथि	निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि व समय	तकनिकी निविदा खोलने की तिथि व समय	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	64	sewer maintenance and manhole cleaning work in ward 21 of hawamahal amer zone	14,91,234	29825 7456	500+90= 590/-	500	22.11.2024	04.12.2024 06.00 pm	05.12.2024 11.00 am	06 माह

1. निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in एवं www.jaipurmcheritage.org पर देखी जा सकती है।
2. निविदादाताओं को निविदा शुल्क, अमानता राशि एवं MD, RISL प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन नगर निगम, जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmcheritage.org पर Submission Date and time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्केन करके http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जायेगा।
3. संवेदक द्वारा पंजीयन की प्रति, पेनकार्ड की प्रति, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
4. पी.एफ./ई.एस.आई. सर्टिफिकेट कार्यादेश जारी होने से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगे।
5. अधिक जानकारी के लिये अधिशाषी अभियंता (हवामहल–आमेर जोन) के **कमरा न. 12 चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर** में सम्पर्क कर सकते है।
6. संवेदक को हस्ताक्षरयुक्त एनेक्चर ABCDE स्केन करके निविदा के साथ पोर्टल पर डालने पर ही निविदा मान्य की जावेगी।
7. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले समस्त टैक्स व नियम प्रभावी होंगे।
8. संवेदक द्वारा माह मार्च 2024 GSTR-3 या वर्तमान GSTR-3 की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा निविदा पर विचार विमर्श नहीं किया जावेगा।
9. उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मरम्मत एवं दोष निवारण का दायित्व (डिफेक्ट लाईविलटी पिरीयड) 06 माह तक संवेदक का होगा।
10. निविदा में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.2021 द्वारा RTPP Act 2013 के अर्न्तगत शामिल किये गये नियम 75A की पालना संवेदक द्वारा की जावेगी, जिसके अनुसार Unbalanced Bid होने की दशा में नियमानुसार अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Security) राशि BG/FDR/NSC के रुप में LOA जारी होने के 14 दिवस में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अमानता राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावेगी। यदि संवेदक Additional Performance Security जमा कराने के पश्चात् कार्य संतोषजनक रुप से पूर्ण नहीं करता है तो उसकी Additional Performance Security की राशि नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा जब्त कर ली जावेगी व अनुबन्ध के तहत अन्य कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

अधिशाषी अभियन्ता
हवामहल–आमेर जोन
नगर निगम,जयपुर हैरिटेज